रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 268] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जुलाई 26, 1973/श्रावण 4, 1895

No. 268] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 26, 1973/SRAVANA 4, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July 1973

S.O. 409(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, further to amend the Fertiliser (Movement Control) Order, 1973, namely:—

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Movement Control) (Second Amendment) Order, 1973.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertiliser (Movement Control) Order, 1973, in clause 2, for item (b), the following item shall be substituted, namely:—

"(b) 'fertiliser' shall have the same meaning as in item (d) of clause 2 of the Fertiliser (Control) Order, 1957 but shall not include 'Bone-meal, Raw', 'Bone-meal, Steamed' and 'Rock-phosphate', appearing at Serial Nos. 9, 10 and 23 respectively of Schedule to that Order,"

[No. 10-18/73-MPRSTU.]

KUMARI ANNA R. GEORGE, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1973

का०आ० 409 (अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देता है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम उर्वरक (संचलन नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) आदेश, 1973 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 के खण्ड 2 में, मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(ख) 'उर्वरक' का वही अर्थ होगा जो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के खण्ड 2 की मद (घ) में है किन्तु इसके अन्तर्गत उक्त आदेश की अनुसूची में क्रमशः क्रम सं० 9, 10 और 23 पर आने वाली 'हड्डी की खाद, अपरिष्कृत, 'हड्डी की खाद, वाष्पीकृत' और 'शैल-फास्फेट' नहीं है :"

[सं० 10-18/73—एम० पी० आर० एस० टी० यू०]

(कुमारी अन्ना आर० जार्ज)
संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973